न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 04/2014

1– श्रीमति हगामी बैवा लादू जी आयु 75 साल
2– श्री सोहन पुत्र लादू जी आयु 55 साल
3– श्री प्रभु पुत्र लादू आयु 52 साल
4– श्री छगना पुत्र लादू आयु 49 साल
5– श्री सांवरा पुत्र लादू जी आयु 38 साल
समस्त जाति जाट निवासी गांव भगवानपुरा खेडा, तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0 बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारीस काबिज जायदाद स्व0 लादू पुत्र उदा जाति जाट निवासी भगवानपुरा खेडा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

———वादीगण

ब ना म

1– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार मसूदा
2– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 07.05.2018

वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांक्षत निवेदन किया है, मौजा भगवानपुरा पटवार क्षैत्र देवमाली तहसील मसूदा में वर्णित खसरा नंबर 325 रकबा 00–08–00, 19 रकबा 22–12–10, 326 रकबा 11–07–00, 277 रकबा 00–12–00 स्थित है। उक्त कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज लादू पुत्र उदा जी जाति जाट अरसे दराज से अर्थात गत 80 साल से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे थी इसी कारण सेटलमेंट के समय सक्षम अधिकारी ने खातेदारी प्रदान कर उनके नाम भू प्रबंधक विभाग का पर्चा जारी किया था तथा सेटलमेंट के समय जो जमाबंदीया बनी थी उनमें भी वादीगण के पूर्वज का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित कर दिया था श्री लादू पुत्र उदा जब तक जीवित रहे वादीगण के साथ काबिज काश्त रहे व श्री लादू जी की मृत्यु के पश्चात वादीगण उक्त भूमियो पर काश्त उपयोग उपभोग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के पूर्वज ग्रामीण परिवेश के अनपढ व भोले भाले काश्तकार व्यक्ति थे एंव वे राजस्व कानूनो व नियमो की जानकारी उन्हें नही थी इस कारण यह आराजी सन् 1970 से पूर्व राजस्व अभिलेखो में सिवायचक दर्ज थी एवम वादीगण का कब्जा काश्त उक्त आराजियात पर निरन्तर बिना किसी बाधा व रूकावट के होने के कारण भू प्रबंधक विभाग द्धारा राजस्थान भू राजस्व नियमो 21 के अर्न्तगत प्रमाणांकन के लिये पर्चा नोटिस दिनांक 19.10.1984 को उक्त आराजी खसरा नंबर 326 रकबा 11 बीघा, खसरा नंबर 19 रकबा 07 बीघा, खसरा नंबर 277 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 325 रकबा 08 बिस्वा के लिये जारी किया गया था। जिस पर तत्कालिन हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर व सक्षम सहायक भू अभिलेख अधिकारी व सहायक भू प्रबंध अधिकारी के भी हस्ताक्षर है। तभी से वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है, उन्हें कभी भी बेदखल नही किया गया। किन्तु बाद में बने पी–14 में भी वादीगण का कब्जा काश्त होने के कारण उनका नाम बतौर खातेदार अंकित चला आ रहा है। वादीगण ने उक्त आराजी पर कब्जा होने के कारण लाखो रूपये खर्च उसे उन्नत व काबिल काश्त बनाया है। प्रतिवादीगण द्धारा वादीगण के विरूद्ध धारा 91 के नोटिस भी जारी किये

.....लगातार

(सुरेश चावला) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर) राज0

किन्तु उन्हें कभी भी बेदखन नही किया गया। वादीगन का सन् 1970 से कब्जा काश्त होने के कारण राजस्थान सरकार द्धारा निकाले गये विभिन्न अध्यादेश व सरक्यूलर के तहत ऐसे व्यक्ति के कब्जे को नियमन किया जाकर खातेदारी दिया जाना आवश्यक है। तथा इस सन्दर्भ में दिनांक 10.12.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 व उसके सहयोगी जबरदस्ती वादीगण के कब्जेशुदा भूमि से उन्हें बेदखल करना चाहा किन्तु वादीगण को बेदखल नही करे सके इस कारण वादीगणको प्रतिवादीगण उसे अवेध रूप से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है, इस बाबत रोकने के लिये वादीगण का यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद वर्णित भूमि पर वादीगण का कब्जा नियमन किया जाकर काश्तकारी अधिकार दिये जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदारी प्रदान की जावे राजस्व अभिलेखो में दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्धारा पाबंद किया जावे कि वादीगण को विवादित भूमि के कब्जे काश्त से बेदखल नही करे व ना ही उनके उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप बाधा उत्पन्न ना करे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को नकारते हुये कथन किया है, कि वादग्रस्त भूमि सरकारी भूमि है, जिस पर वादीगण को समय समय पर मौके से बेदखल किया गया है। जब भी वादीगण ने बतौर अतिक्रमी कब्जा किया है, तब इन्हें नियमानुसार बेदखल किया गया है। प्रतिवादीगण वहृत काश्तकार है भूमिहीन नही है, विगत तीन वर्षो से प्रवितादीगण का वर्णित भूमि पर मौके पर कब्जा भी नही रहा है, इस प्रकार प्रतिवादीगण उक्त भूमि को नियमन कराने/खातेदारी प्राप्त कराने/इन्द्राज दुरूस्त कराने/अन्य अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वाद खारीज किया जावे।

प्रकरण में दावे व जवाबदावे के अनुसार अनुतोष सहित 4 तनकियात कायम की गई।

प्रकरण में साक्ष्य वादी में वादीगण ने अपने वाद पत्र को ही साक्ष्य माना जाकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जावे।

प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी ने पैरोकार सरकार ने कथन किया है, कि जवाबदावा को ही साक्ष्य के रूप में पढा जावे।

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई जिसमें वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र व दस्तावेजो को कथन करते हुये वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे के तथ्यो को दोहराते हुये वाद पत्र खारीज किये जाने का कथन किया।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं महा...
मसूदा (अजमेर)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वाद पत्र में कायम तनकियात निम्न प्रकार तय की जाती है।

1— आया वादीगण विवादित आराजी बाबत यह घोषणा करवाने के अधिकारी है, कि व इस पर वर्तमान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आये के पूर्व से 80 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज काश्त चले आते है, इसलिये वे राज्य सरकार द्धारा समय समय पर जारी परिपत्रो के आधार पर नियमन कराने/खातेदारी पाने के अधिकारी है ? ———वादीगण

2— आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित आराजी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है? ———वादीगण

3— आया वादीगण ने विवादित आराजी पर जब जब भी अतिक्रमण किया है उन्हें विधिक रूप से बदेखल किया गया है, विवादित भूमि सरकारी सिवायचक भूमि है जिस पर वादीगण किसी घोषणा करवाने के अधिकारी नही है?———प्रतिवादी

4— अनुतोष?

लगातार

उपरोक्त **तनकी नंबर 1 व 2** एक दूसरे से पूरक होने के कारण एक साथ निर्णित की जाती है, उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रहा है। वादीगण ने अपने वाद में विवादित भूमियो अपने पिता के समय से गत 80 सालो से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग होने का कथन करते हुये वादीगण के पूर्वज के हक में दिनांक 19.10.1984 में पर्चा नोटिस जारी करने का कथन कर नियमन/ खातेदारी की घोषणा चाही है, जिसके विषय में वादीगण ने अपने कब्जे संबंधित पर्चा भू प्रबंधक विभाग द्वारा जारी जिसमें खसरा नंबर 326, 19, 326, 277, 325 दर्ज होना पाया गया। खसरा नंबर 277 के विषय में दिनांक 6.9.1977, एंव खसरा नंबर 19, 326 के विषय में दिनांक 26.8.1986 एंव खसरा नंबर 19, 326 के विषय में दिनांक 13.10.1980 एंव खसरा नंबर 326 के विषय में दिनांक 22.9.1993, 22.2.2006, 8.9.2008, 24.9.2010, 20. 9.2011 के तहसीलदार द्वारा धारा 91 के नोटिस वादीगण के पूर्वज लादू पुत्र उदा व वादी सोहन पुत्र लादू के नाम जारी किया जाना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2043 सन् 1983 में खसरा नंबर 19 रकबा 0–07–0 में तिल व खसरा नंबर 326 रकबा 0–04–00 में ज्वार लादू पुत्र उदा द्वारा काश्त किया जाना पाया गया। खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2058 सन् 2001 में खसरा नंबर 277 रकबा 01–10–00 ज्वार छगनलाल पुत्र लादूराम द्वारा काश्त किया जाना पाया गया। जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के अनुसार खसरा नंबर 325 रकबा 08–04–00 आंशिक सरकारी खाता 6 वर्ष या अधिक बरती जुताई हेतू दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2068 से 2071 में खसरा नंबर 19, 326 व 277 बंजर भूमि दर्ज होना पाया गया। उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विवेचन के आधार पर वादीगण का कब्जा उसके पूर्वज लादू पुत्र उदा के समय से उक्त भूमियो पर लगातार कब्जा काश्त होना दर्शित होता है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी आंशिक रूप से वादी के हक में तय की जाती है।

तनकी नंबर 3 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में कथन किया है, कि वादीगण का विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमण काबिज होना अंकित किया है, तथा तनकी नंबर 1 व 2 वादीगण के हक में आंशिक रूप से निर्णिय की जा चुकी है, इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नंबर 4 अनुतोष ?

उक्त विवेचन के आधार पर तनकी नंबर 1, 2 व 3 वादीगण के हक में आंशिक रूप से तय की जा चुकी है इसलिये वादीगण का वाद आंशिक रूप स्वीकार किया जाता है।

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है मौजा मौजा भगवानपुरा पटवार क्षैत्र देवमाली तहसील मसूदा जिला–अजमेर में स्थित खसरा नंबर 326 रकबा 11 बीघा, खसरा नंबर 19 रकबा 07 बीघा, खसरा नंबर 277 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 325 रकबा 08 बिस्वा भूमियो में वादीगण द्वारा कब्जा काश्त किये जाने से आवंटन एवं नियमन सलाहकार कमेटी के समक्ष प्रकरण रखे जाने की सिफारिश की जाती है। आवंटन एवं नियमन सलाहकार कमेटी नियमानुसार वादीगण को कब्जा काश्त की भूमि आवंटन एवं नियमन अधिनियम के अधीन आवंटन एवं नियमन सलाहकार कोरम (कमेटी) में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 17:05:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: